

ज्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 19/2022

1. पतासी देवी पत्नी शिवपाल जाति बलाई निवासीनी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर

—अपीलाण्ट—

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र शिवपाल
2. महेन्द्र कुमार पुत्र शिवपाल
3. रतनी देवी पुत्री शिवपाल समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर

— रेस्पोंडेण्टस —


अपील विरुद्ध नामा० संख्या 1416 बाबत ग्राम पंचायत सिंहासन पटवार हल्का सिंहासन भू अभिलेख निरीक्षक पिपराली तहसील व जिला सीकर प्रविष्टि दिनांक 14.7.20.21 निर्णित दिनांक 5.8.2021 ग्राम पंचायत सिंहासन तहसील व जिला सीकर

उपस्थित — वकील अपीलाण्ट— श्री सांवरमल चौधरी
वकील रेस्पोंडेण्टस — श्री संदिप सिंह सेवदा

निर्णय

दिनांक : 17.11.22


वकील अपीलाण्ट ने एक अपील विरुद्ध नामा० संख्या 1416 दिनांक 5.8.2021 ग्राम पंचायत सिंहासन के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 0.79 है० वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी पूर्व में 1/2 हिस्से की अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्टस का पूर्वज शिवपाल रहा है। शिवपाल का देहान्त निर्वसियती हो गया। अपीलाण्टस एवं रेस्पोंडेण्टस उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान है। विरासत का नामा० पटवारी हल्का द्वारा सही भरा जाकर भू० अभिलेख निरीक्षक को भिजवाया गया जिसके इन्द्राज सही होना

 17.11.22

अंकित किया गया। दिनांक 20.7.2021 को नामा0 वारसे तरदीक ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होने पर बिना किसी अधिकार के योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 6 के जरिये नामा0 पर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें, का नोट लगा दिया गया। दिनांक 5.8.2021 को प्रस्ताव संख्या 6 के जरिये नामा0 अस्वीकृत कर दिया गया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाबह जाकर अवैध आधारों पर नामा0 खारिज कर दिया क्या क्योंकि विरासत के नामा0 में मृतक के वारिसान की जांच होती है कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड का विवेचन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट को पूर्व में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 16.8.2022 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उस पर निरस्तीकरण का नोट लगा हुआ था। इसके पश्चात प्रस्ताव आदि की नकल प्राप्त कर अपील यथाशीघ्र प्रस्तुत की गई है। दफा 5 का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिंहासन द्वारा नामा0 सं0 1416 दिनांक 5.8.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं मृतक शिवपाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंटस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोंडेंटस जरिये वकील उपस्थित रहे। वकील रेस्पोंडेंट ने अपील स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की।


बहस वकील अपीलान्टस सुनी गई जो मुताबिक अपील रही। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत सबूतों के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट का पूर्वज शिवपाल था। शिवपाल की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा उसके वारिसान के नाम से नामा0 भरा गया एवं आई. एल. आर ने अपनी जांच में उक्त नामा0 को सही पाया है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6 का अवलोकन किया गया। जिसमें यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 563 का रकबा सेटलमेण्ट के दौरान बढ़ा दिया गया व 560 का रकबा कम कर दिया गया। मौके पर विवाद हो सकता है, नामा0 खारिज कर दिया गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामा0 शिवपाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भरा गया था। परन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने रकबा कम बेशी होने बाबत नोट लगा कर नामा0 अस्वीकार कर दिया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत को रकबा कमी बेशी होने के कारण विरासत का नामा0 अस्वीकार किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को है। यदि किसी पक्षकार को या खातेदार को इस संबंध में कोई आपत्ति थी या है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है परन्तु

 17.11.22

अधिनस्थ न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत सिंहासन द्वारा विरासत का नामा० अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा० संख्या 1416 दिनांक 5.8.2021 ग्राम पंचायत सिंहासन तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार वारिसान की जांच कर विरासत के नामा० के संबंध में पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक १०.११.२० को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।


(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर